

14.05.2024

पत्रावली पेशा हुई। उभयपक्षकारान के अधि-  
वक्तागण अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलार्थी  
द्वारा सुनवाई हेतु पत्रावली को न्यायालय  
सहायक कलक्टर बायतु से न्यायालय  
सहायक कलक्टर शिव में स्थानान्तरण करने  
हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत  
किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का  
अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि  
न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु इस  
न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है एवं  
न्यायालय सहायक कलक्टर शिव इस क्षेत्र-  
धिकार के अधीन नहीं है। उक्त दोनो  
न्यायालय भिन्न-भिन्न होने से हस्तगत  
प्रकरण में सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार अधिष्ठा  
करना यह न्यायालय सक्षम नहीं है। इस  
प्रकार उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वंछित  
क्षेत्राधिकार न्यायालय में प्रकरण स्थानान्तरण  
करना न्यायोचित नहीं है।

अतः न्यायालय सहायक कलक्टर शिव इस न्यायालय  
के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं बाने के कारण  
अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता  
है एवं अपीलार्थी अपने सक्षम न्यायालय के समक्ष  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर  
नंबर से कम है।